

भारत सरकार  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या \*379

दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन

**\*379. श्रीमती मालविका देवी:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मंत्रालय द्वारा विशेषतः ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन में पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ख) क्या छोटे शिशुओं में कुपोषण को रोकने के लिए ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर  
महिला एवं बाल विकास मंत्री  
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

\*\*\*\*\*

**महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन के संबंध में दिनांक 20.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 379 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

**(क) से (ग):** 15वें वित्त आयोग के तहत, कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसके कार्यान्वयन और गतिविधियों के दैनिक निष्पादन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। मिशन एक सार्वभौमिक स्व-चयन छत्र योजना है जिसे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों सहित पूरे देश में लागू किया जा रहा है।

पोषण केवल खाना खाने तक ही सीमित नहीं है; इसके लिए उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय आवश्यक होते हैं जो स्वच्छता, शिक्षा और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। चूंकि कुपोषण के लिए भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और शिक्षा के आयामों को शामिल करते हुए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक होता है, इसलिए कुपोषण के मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करना महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों के बीच परस्पर (क्रॉस कटिंग) अभिसरण की मदद से कुपोषण की चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और अल्प वजन के प्रसार को कम किया जा सके।

इस मिशन के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-11 में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को पिछले वर्ष संशोधित और उन्नयित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक

व्यापक और संतुलित हैं जिनमें गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता (एनीमिया) को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत की पूर्ति करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाया जाने वाला राशन (टीएचआर) तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका इलाज करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

इस मिशन के तहत सामुदायिक जुटाव और जागरूकता पक्ष समर्थन एक प्रमुख कार्यकलाप है जिसके माध्यम से लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जन-आंदोलन चलाया जाता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की गई सबसे प्रमुख अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है, जिसके तहत पात्र बच्चों को पका हुआ गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों सहित पूरे देश में कार्यान्वित की गई है जिसमें बालवाटिका (कक्षा 1 से ठीक पहले) तथा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य भारत में अधिकांश बच्चों की दो गंभीर समस्याओं अर्थात् कुपोषण और शिक्षा का इस प्रकार समाधान करना है:

- i. बिना किसी भेदभाव के बाल वाटिका (कक्षा 1 से ठीक पहले) तथा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाना।

- ii. वंचित वर्गों से संबंधित गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना और कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में उनकी मदद करना।
- iii. गर्मी की छुट्टियों और आपदा के समय सूखा/आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना।

पात्र बच्चों को पका हुआ गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने सहित योजना के सुचारू संचालन की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। भारत सरकार ने सुनिश्चित करने के लिए कि इस योजना के तहत अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन दिया जाता है, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश आधिकारिक वेबसाइट <https://pmposhan.education.gov.in> पर उपलब्ध हैं।

\*\*\*\*\*